

राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) की आनलाइन स्थानान्तरण आवेदन प्रणाली

आनलाइन स्थानान्तरण हेतु सामान्य निर्देश

- 1— राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अन्य संस्थानों में यथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि में कार्यरत समकक्षीय अधिकारियों तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं उक्तानुसार अन्य संस्थानों में समकक्षीय पदों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक(पुरुष/महिला) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) के पद पर स्वयं की इच्छा पर/निजी व्यय पर स्थानान्तरण चाहते हैं।
- 2— आवेदक जिस संवर्ग का है वह उसी संवर्ग के लिए अपने पद के अनुरूप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(समकक्ष पद) के लिए आवेदन करेगा अर्थात् पुरुष संवर्ग का आवेदक पुरुष संवर्ग में तथा महिला संवर्ग का आवेदक महिला संवर्ग में ही आवेदन करेगा।
- 3— आवेदक राजाज्ञा संख्या –852/15-6-2019 दिनांक 06 जून, 2019 एवं दिये गए निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें।
- 4— आनलाइन स्थानान्तरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया वेबसाइट upsecggtt.upsdc.gov.in पर सम्पन्न करायी जाएगी जो एक निश्चित अवधि के लिए खोली जाएगी तथा निर्धारित अवधि पश्चात बन्द कर दी जाएगी।
- 5— जनपदवार/विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। आवेदक प्रदर्शित रिक्तियों में से अपना विकल्प (अधिकतम पांच विकल्प) चुन सकता है।
- 6— आवेदक का आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/असत्य होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका उत्तरदायी स्वयं आवेदक होगा।
- 7— प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) तथा समकक्षीय पदधारक द्वारा आन लाइन आवेदन किया जाना है सीधे भेजे गये आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 8— प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) तथा समकक्षीय पदधारकों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र कार्यरत जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से ही आनलाइन अग्रसारित किया जाएगा तथा आनलाइन पूरित आवेदन पत्र की प्रति आवेदक द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त कराया जाना अनिवार्य है।
- 9— उच्च गुणांक वाले आवेदक का ही वांछित स्थान पर स्थानान्तरण किया जायेगा। यदि एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान है तो अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जायेगी, यदि आयु भी समान है तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ अधिकारी को वरीयता दी जायेगी।
- 10— गुणांक का निर्धारण परिशिष्ट-अ के अनुसार किया जाएगा।
- 11— आवेदक द्वारा संलग्नक में उसके द्वारा चुने गये विकल्पों के साक्ष्य के रूप में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किए गये प्रमाण पत्रों को अनिवार्य रूप से लगाना होगा। यदि आवेदक जिला विद्यालय

निरीक्षक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय संलग्नक के रूप में वांछित प्रमाण-पत्र नहीं लगाता है तो उसका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।

- 12- महत्वकांक्षी जनपद के अन्तर्गत जनपद फतेहपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चन्दौली, सिद्धार्थनगर तथा चित्रकूट जनपदों के अधिकारियों को जनपद के अन्तर्गत अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरण किए जाने पर विचार किया जाएगा।
- 13- जनपद लखनऊ एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में आनलाइन स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा परन्तु जनपद लखनऊ एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के अधिकारी अन्य जनपदों में आनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- 14- आवेदक सम्पूर्ण स्थानान्तरण प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन के समय अंकित/उपलब्ध कराया गया मोबाइल नम्बर सुरक्षित अपने पास रखेगा जो स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्त तक उपयोगी होगा।
- 15- आनलाइन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय शासन/विभाग का होगा जो आवेदक को मान्य होगा।
- 16- गुणांक का निर्धारण निम्न परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा:-

परिशिष्ट-अ

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) के स्थानान्तरण हेतु मानक/गुणांक

क्रम संख्या	मुख्य मानक	गुणांक
1	ऐसे प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला) जिनके पति/पत्नी भारतीय सेना/वायु सेना/नौ सेना अथवा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों:- जैसे CRPF, ITBP तथा BSF में कार्यरत हैं तथा सीमा पर तैनात हैं। (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा)	100
2	स्वयं कैंसर/ एच0आई0वी0 (एडस)/किडनी/लीवर गम्भीर रोग ग्रस्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला) द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, पी0जी0आई0, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	100
3	ऐसे प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला) जिनकी आयु 31 मार्च को 58 वर्ष पूर्ण हो चुकी है।	100
4	यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, को एक ही जनपद/नगर/स्थान पर। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/महाविद्यालय/तथा बेसिक शिक्षा के अधीन कार्यरत अध्यापकों को भी उक्त मानक के अन्तर्गत उसी तरह गुणांक का लाभ दिया जायेगा।	100
	सहायक मानक	
1	जो स्वयं दिव्यांग की श्रेणी में हों। (सक्षम अधिकारी से चिकित्सीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)।	40% to 60% =10
		60% to 80% = 15
		above 80% = 20

2	जिनकी पत्नी/पति/बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग/दिव्यांग हैं या कैंसर/ एच0आई0वी0 (एडस)/किडनी/लीवर गम्भीर रोग ग्रस्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला) द्वारा किसी प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे एम्स, पी0जी0आई0, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	10
3	राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला)।	10
4	ऐसी महिला प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापिका/उप प्रधानाचार्या जो विधवा/तलाकशुदा है। (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर)।	10
5	ऐसे पुरुष प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य जो विधुर हैं और उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है तथा जिन्हें अवयस्क आश्रित बच्चों की देख-भाल करनी हो।(प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर)	10
6	महिला प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापिका/उप प्रधानाचार्या	10
7	ऐसे प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य (पुरुष/महिला) जिनका गत बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत परीक्षाफल रहा हो (जिला विद्यालय निरीक्षक के प्रमाण-पत्र पर)	10
8	प्रथम नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष के उपरान्त प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक (अधिकतम 20 अंक)	20

नोट:- उपरोक्त परिशिष्ट में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को इंगित गुणांक/मानक का लाभ समकक्षीय पदधारक जो प्रधानाचार्य पद हेतु स्थानान्तरण का इच्छुक है को भी दिया जायेगा।

(i) आनलाइन स्थानान्तरण हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश :-

- 1- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अन्य संस्थानों में यथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि में कार्यरत समकक्षीय अधिकारियों तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं उक्तानुसार अन्य संस्थानों में समकक्षीय पदों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे, जो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(पुरुष/महिला) के पद पर स्वयं की इच्छा पर/निजी व्यय पर स्थानान्तरण चाहते हैं। आवेदक जिस संवर्ग का है वह उसी संवर्ग के लिए अपने पद के अनुरूप प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य(समकक्ष पद) के लिए आवेदन करेगा अर्थात् पुरुष संवर्ग का आवेदक पुरुष संवर्ग में तथा महिला संवर्ग का आवेदक महिला संवर्ग में ही आवेदन करेगा।
- 2- आवेदक राजाज्ञा संख्या-852/15-6-2019 दिनांक 06 जून, 2019 एवं दिये गए निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। वेबसाइट पर फाइनल सबमिट बटन क्लिक करने से पूर्व आवेदक स्वयं आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों की भली भाँति जांच कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो उसे सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन फाइनल सबमिट करें। यदि उनका आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/असत्य होगा तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक होगा।
- 3- आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट upsecgtt.upsdc.gov.in क्लिक करेगा जिससे वेबसाइट खुलेगी।
- 4- उक्त वेबसाइट खुलने पर माध्यमिक शिक्षा आनलाइन स्थानान्तरण प्रणाली- 2019 प्रदर्शित होगी।

- 5— आवेदक द्वारा उक्त पेज खोलने के पश्चात्, वेबसाइट में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/उप प्रधानाचार्य के आनलाइन स्थानान्तरण हेतु प्रदर्शित लिंक से आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को दो चरणों में पूर्ण करेंगे। आवेदन पत्र अंग्रेजी भाषा में भरा जाएगा।
- 6— आवेदक प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन करेगा तथा द्वितीय चरण में आनलाइन फार्म सबमिट करेगा।
- 7— आवेदक रजिस्ट्रेशन हेतु कार्यरत मण्डल, कार्यरत जनपद का नाम, कार्यरत विद्यालय/कार्यालय/संस्थान का नाम, गृह जनपद, आवेदक का नाम, वर्तमान पदनाम, लिंग, संवर्ग, जन्मतिथि, विकलांगता की स्थिति(विकलांग है या नहीं), यदि विकलांग है तो उसका प्रतिशत, प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान विद्यालय/कार्यालय/संस्थान में कार्यभार ग्रहण की तिथि, आदि अंकित करके जनरेट ओ0टी0पी0 बटन पर क्लिक करेगा।
- 8— उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त उसके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल पर ओ0टी0पी0(वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा, जिसे कम्प्यूटर पर अंकित कर सबमिट करना होगा।
- 9— रजिस्ट्रेशन की उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक अपने रजिस्ट्रेशन के विवरण का प्रिन्ट आउट भी निकाल सकेगा तथा उसके मोबाइल पर भी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्राप्त होगा जिसे उसे सुरक्षित रखना होगा जो आवेदन भरने की आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग में आएगा।
- 10— आवेदक रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सूचनाओं को सावधानीपूर्वक एवं सही सूचना को अंकित करके ही सबमिट करेगा। एक बार सबमिट करने के उपरान्त उसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा।
- 11— आवेदक से यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन/आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टियाँ अंकित हो जाती हैं तो उसमें वह सुधार तो नहीं कर सकता है परन्तु किसी अन्य मोबाइल नम्बर से वह सही सूचनाएँ अंकित कर पुनः रजिस्ट्रेशन करके आनलाइन आवेदन कर सकता है।
- 12— उपरोक्त क्रमांक-7 से 9 तक की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात्, द्वितीय चरण प्रारम्भ होगा।
- 13— द्वितीय चरण में आवेदक को स्थानान्तरण हेतु आवेदन के लिए लागिन करना होगा। लागिन के समय रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित करके जनरेट ओ0टी0पी0 बटन पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात् रजिस्ट्रेशन के समय अंकित किये गये उसके मोबाइल नंबर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा जिसे कम्प्यूटर में अंकित कर सबमिट करना होगा।
- 14— क्रमांक 13 में उल्लिखित सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त कम्प्यूटर स्क्रीन पर आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन के समय अंकित की गयी प्रविष्टियों के अतिरिक्त आगे पूर्ण की जाने वाली सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ प्रदर्शित होंगी, जिन्हें आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ण किया जाना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय पूर्ण की गयी प्रविष्टियों में आवेदक कोई परिवर्तन नहीं कर सकेगा।
- 15— आवेदन पत्र में आवेदक को प्रथम नियुक्ति का पदनाम, पिता का नाम, माता का नाम, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, वैवाहिक स्थिति, पति/पत्नी के सेवा में होने की स्थिति, पति/पत्नी का नाम, पति/पत्नी की सेवा का प्रकार, विभाग आदि को अंकित करना होगा।
- 16— आवेदन पत्र में प्रदर्शित मानक विन्दुओं में से अभ्यर्थी को विकल्प चुनना है जो एक से अधिक भी हो सकते हैं। आवेदक द्वारा चुने गये प्रत्येक मानक के लिए वांछित अभिलेखों की स्वः प्रमाणित प्रति अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत करना होगा।

- 17— आवेदन पत्र में आवेदक को यह अधिकार होगा कि वह दिये गये रिक्त पद वाले विद्यालयों में से अपने संवर्ग के अनुरूप न्यूनतम 01(एक) व अधिकतम 05(पांच) इच्छित विद्यालयों के विकल्प के अनुसार आवेदन कर सकता है।
- 18— आवेदक को आवेदन पत्र में एक पहचान पत्र एवं उसका विवरण तथा अपना फोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करके वेबसाइट में दिए गए मानक के अनुसार अपलोड करना होगा। पहचान पत्र **PDF Format** में अधिकतम 50 KB तथा फोटो एवं हस्ताक्षर **JPG/JPEG Format** में अधिकतम 20 KB का होगा।
- 19— अधिक गुणांक प्राप्त आवेदक को स्थानान्तरण हेतु इच्छित विद्यालय में तैनाती दिये जाने में वरीयता दी जायेगी।
- 20— एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जायेगी यदि आयु समान है तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ अधिकारी को वरीयता दी जायेगी।
- 21— आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के पूर्व आवेदक अपनी समस्त प्रविष्टियों को पुनः एक बार भली भांति जांच लें यदि आवेदक द्वारा कोई भी प्रविष्टि गलत/भ्रामक/असत्य/त्रुटिपूर्ण अंकित की गयी है तो विभाग का यह अधिकार होगा कि वह उसका आवेदन निरस्त कर दे एवं उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति कर दे। अतः आवेदक अपनी समस्त प्रविष्टियों को भली भांति जांचने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करें।
- 22— फाइनल सबमिट करने के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन किसी भी स्तर पर नहीं हो सकेगा।
- 23— आवेदक द्वारा आवेदन पत्र फाइनल सबमिट करने के पश्चात पूर्ण किये गये आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट दो प्रतियों में निकाला जायेगा।
- 24— समस्त वांछित संलग्नकों सहित प्रिन्ट आउट की एक प्रति कार्यरत जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराना होगा तथा दूसरी प्रति आवेदक अपने पास सुरक्षित रखेगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों से इतर संस्थान/कार्यालय में कार्यरत अधिकारी भी अपना आनलाइन आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित अपने जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त करायेंगे।
- 25— सम्बन्धित अधिकारी स्थानान्तरण होने के 10 दिन के भीतर अपने कार्यरत स्थान से कार्यमुक्त होकर नवीन तैनाती के विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। किन्तु महत्वकांक्षी जनपदों के अधिकारियों पर यह व्यवस्था नहीं लागू होगी अर्थात् उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा।